



दिनांक 26.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति 26 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़ / थाना सिविल लाइन

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.05.2024 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निजामी पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आमिर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आमिर निवासी अल्लमा इकबाल अपार्टमेंट नगला मल्लाह थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़, हालपता ग्राम श्यामखेत थाना भवानी जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड।

जनपद हरदोई / थाना सण्डीला

• लूट की घटना का अनावरण

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट के 20 हजार रुपये नगद

• लूट के लगभग 01 लाख 80 हजार रुपये कीमत के सोने का आभूषण

• घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 26.05.2024 को थाना सण्डीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सण्डीला गदौरा रोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1- यशवर्धन उर्फ सौरभ 2- अजीत

3-अनुज 4-आशीष को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 20 हजार रुपये नगद, लूट के लगभग 01 लाख 80 हजार रुपये कीमत के सोने का आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2024 को थाना सण्डीला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सण्डीला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सण्डीला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-यशवर्धन उर्फ सौरभ निवासी ग्राम ढिकुन्नी थाना अतरौली जनपद हरदोई।
- 2-अजीत निवासी ग्राम ढिकुन्नी थाना अतरौली जनपद हरदोई।
- 3-अनुज निवासी ग्राम ढिकुन्नी थाना अतरौली जनपद हरदोई।
- 4-आशीष निवासी ग्राम ढिकुन्नी थाना अतरौली जनपद हरदोई।

बरामदगी

- 1-लूट के 20 हजार रुपये नगद।
- 2-लूट के लगभग 01 लाख 80 हजार रुपये कीमत के सोने का आभूषण।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेंट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 05 हजार 390 रुपये नगद
- लूट के सोने के आभूषण
- 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 26.05.2024 को थाना कृष्णानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1-कमलेश 2-सलमान 3- मो0नदीम 4- अनुज

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 हजार 390 रुपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.05.2024 को थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 28 अभियोग, अभियुक्त सलमान के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त मो0नदीम व अनुज के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-कमलेश निवासी दौलतगंज थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- 2-सलमान निवासी दौलतगंज थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- 3-मो0नदीम निवासी पाटानाला थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ।
- 4-अनुज निवासी राजाबाजार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

- 1-लूट के 05 हजार 390 रूपये नगद।
- 2-लूट के सोने के आभूषण।
- 3-02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 25/26.05.2024 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलेमपुर बंबा की पटरी के पास से 03 अभियुक्तों 1-मो0शाहबाज 2-राहुल 3-योगेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मो0शाहबाज निवासी मो0व्यापारियान कस्बा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 2-राहुल निवासी मो0व्यापारियान कस्बा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 3-योगेश निवासी ग्राम ऊंघई थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

- 1-चोरी की 15 मोटर साइकिल।

जनपद फिरोजाबाद/थाना दक्षिण

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● लगभग 02 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 25.05.2024 को थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएल जैन कालेज के पास से अभियुक्त चन्द्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 02 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रशेखर निवासी हिमांयुपुर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 02 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

एसटीएफ—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 25-05-2024 को एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 05 अदद .32 बोर की पिस्टल के साथ लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1—नीतेश भारती पुत्र भगवान निवासी चन्दावर, थाना मनियर, जनपद बलिया।

बरामदगी:-

- (1) 5 अदद अवैध पिस्टल
- (2) 5 अदद मैग्जीन .32 बोर
- (3) 01 अदद मोबाइल फोन
- (4) 01 अदद दो पहिया वाहन

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समय:-

दिनांक 25-05-2024 समय 18:00 बजे न्यू एमईटी यूनिवर्सिटी के गेट नम्बर-1 से आगे, लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करो के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मे श कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन से दौरान सूचना प्राप्त हुई की जनपद बलिया का रहने वाला शातिर शस्त्र तस्कर नीतेश भारती बिहार व मध्यप्रदेश राज्य से अवैध असलहा लेकर आया है, जो मल्हौर क्षेत्र में यू एमईटी यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। इस सूचना पर उ०नि० अतुल चतुर्वेदी, उ०नि० प्रदीप सिंह, मु०आ० नीरज पाण्डेय, मु०आ० रामनिवास शुक्ला, मु०आ० राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव व आरक्षी चालक अली अफजाल की टीम उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त नीतेश भारती को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि उसका एक गिरोह है, जो अवैध असलहो की तस्करी करता है। यह मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य से 10 से 12 हजार में अवैध पिस्टल खरीदता है, जिसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 से 30 हजार रुपये में बेचता है। जिससे काफी मुनाफा होता है। पूर्व में भी अवैध शस्त्र तस्करी के आरोप में जनपद बाराबंकी से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना-चिनहट जनपद लखनऊ में मु०अ०सं० 259/24 धारा-3/5/8/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

आपराधिक इतिहास:-

(1) मु०अ०सं० 149/23 धारा-3/25 थाना-जैदपुर, जनपद बाराबंकी।

एसटीएफ-उ०प्र० पुलिस आरक्षी परीक्षा में सेध लगाकर पेपर आउट कराने वाले गिरोह के सदस्य तथा थाना कोतवाली हाथरस के अभियोग में वांछित रू० 25-25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित उ०प्र० आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर पैसा लेकर अभ्यर्थियों को पढ़वाने वाले गिरोह के सदस्य एवं थाना कोतवाली हाथरस के अभियोग में वांछित रू० 25-25 हजार के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- के बिटटू उर्फ विनोद कुमार शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम लौहसरा, थाना लोधा जनपद अलीगढ़।
- 2-- कुशल पाल उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ कुँवरपाल उर्फ चन्द्रपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कस्बा डन्डू थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों से बरामदगी:-

- 1- 01 अदद मोटर साईकिल (यूपी-13-बीजेड-7026)
- 2- 01 अदद ड्राईविंग लाईसेन्स (अभियुक्त के0बिटटू का)
- 3- 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड (अभियुक्त के0बिटटू का)
- 4- 500/- रूपया नगद

गिरफ्तारी स्थल/समय/दिनांक-

रोडवेज वर्कशॉप आगरा रोड, थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस क्षेत्र, दिनांक 25-05-2024
समय-22.45 बजे

उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 17-02-2024 को, उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में धांधली/फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्त सुभाष यादव उर्फ सुभाष चन्द उर्फ गुरु जी एवं संजय फौजी उर्फ दीपक कुमार तथा मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली सदर जनपद हाथरस पर मु0अ0सं0 58/24 पर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी अभियोग में अभियुक्त के बिटटू उर्फ विनोद कुमार शर्मा तथा अभियुक्त कुशल पाल उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ कुँवरपाल उर्फ चन्द्रपाल वांछित चल रहे थे। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट, नोएडा के पर्यवेक्षण तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा की टीम को दिनांक 25-05-2024 को मुखबिर एवं अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त

अभियोग में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी के० बिट्टू एवं कुशलपाल अपने साथी से मिलने रोडवेज वर्क शॉप, आगरा रोड, जनपद हाथरस में आने वाले हैं। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा उक्त अभियोग के विवेचनाधिकारी को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली सदर जनपद हाथरस की पुलिस को साथ लेकर घेराबन्दी करके व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त के बिट्टू उर्फ विनोद कुमार शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 42 साल है और उसने एल०एल०बी० किया हुआ है तथा वर्तमान में संविदा पर एम्स ऋषिकेश में विद्युत ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर रहा है। एल०एल०बी० करने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कोचिंग देने का काम करता था और इसी क्रम में उसका बी०एस०ए० ऑफिस अलीगढ़ में आना-जाना रहता था। अभियुक्त के बिट्टू उर्फ विनोद कुमार शर्मा की मुलाकात वर्ष 2019-20 में बी०एस०ए० ऑफिस अलीगढ़ में काम करने वाले सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी से हुई थी। सुभाष उर्फ सुरेन्द्र उर्फ गुरुजी का संपर्क विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक आदि कराकर पैसे लेकर नौकरी लगवाने वाले गैंग से था और अभियुक्त के बिट्टू उर्फ विनोद कुमार शर्मा ने सुभाष उर्फ सुरेन्द्र उर्फ गुरुजी के कहने पर उत्तर प्रदेश, पुलिस आरक्षी भर्ती में करीब 100 अभ्यर्थियों से सम्पर्क करके अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया था।

अभियुक्त कुशल पाल उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ कुँवरपाल उर्फ चन्द्रपाल ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 38 साल है और वह कक्षा पाँच पास है। वह बुकिंग में टैक्सी चलाने का काम करता है और बुकिंग के दौरान ही वह चार वर्ष पूर्व सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी के सम्पर्क में आया था। सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी के साथ विभिन्न स्थानों पर टैक्सी लेकर गया था। उसी दौरान अभियुक्त कुशल पाल उर्फ राजा को सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी द्वारा पैसे लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराकर परीक्षार्थियों को नौकरी दिलवाने के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी थी। सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी ने ही उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा से पूर्व अभियुक्त कुशल पाल को बताया था कि उ०प्र० आरक्षी पुलिस भर्ती का पेपर आउट कराकर परीक्षार्थियों का पढाया जायेगा इसलिए आप पैसे लेकर अभ्यर्थियों को तलाश करने का काम शुरू कर दो, इसके पश्चात अभियुक्त कुशल पाल ने पैसे लेकर करीब 60 परीक्षार्थियों को इस कार्य के लिए तैयार कर लिया था।

दोनो अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से पूछताछ पर बताया कि वह लोग सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी के कहने पर उ०प्र० आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को एकत्र करके पहाडगंज दिल्ली एरिया में अभ्यर्थियों के साथ रूके हुए थे। जिनको सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी द्वारा बताये गये स्थान पर अभ्यर्थियों को पेपर पढवाने के लिए जाना था, किन्तु इससे पूर्व ही एस०टी०एफ० नोएडा की टीम द्वारा दिनांक 17-02-2024 अभियुक्त सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष उर्फ सुरेन्द्र गुरुजी की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होने पर यह लोग फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के बिट्टू शर्मा एवं कुशल पाल को थाना कोतवाली हाथरस पर पंजीकृत मु०अ०सं० 58/24 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
